तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/6447/2005/बून्दी गोपाल बनाम मिश्री लाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-06-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति :-** श्री जी0एस0 लखावत, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली द्वारा दिनांक 28-05-2005 को प्रकरण संख्या 48/2002 अनुवानी मिश्रीलाल बनाम गोपाल में पारित निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी/वर्तमान गैर निगराकार संख्या-1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौली के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खसरा नम्बर 380/667/3 रकबा 15 बीघा वादी की गैर खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया, जिसका जबाबदावा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किया और इसमें वादी के आवंटन को अनुचित बताया। वादी द्वारा आदेश 6 नियम 17, सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वाद दायरी के बाद वादी की भूमि के उत्तरी ओर 5 बीघा पर दिनांक 28 एवं 29-06-2004 को प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया है अतः वाद में नवीन चरण संख्या 3-अ जोडने की अनुमति दी जाये व वादी के वाद को संशोधित किया जाये। प्रतिवादी ने जबाब प्रस्तुत किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत प्रकार से बिना कोई कारण अंकित किये नॉन-रीजण्ड व नॉन-स्पीकिंग आदेश से प्रार्थना पत्र संशोधन आक्षेपित निगरानीधीन आदेश से स्वीकार किया है। प्राथी-प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया है और इसकी पुष्टि मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 07-1-2003 से भी बखूबी होती है जो कि दोनों पक्षों की उपस्थित में तैयार की गई रिपोर्ट है। इसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/6447/2005/बून्दी गोपाल बनाम मिश्री लाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में धारा 212 का प्रकरण माननीय मण्डल तक से तय हुआ है और माननीय मण्डल का निर्णय दिनांक 28-10-2004 रिकार्ड पर होते हुये, अवैधानिक तौर पर जून 2004 का वाद हेतुक अंकित करते हुये संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को विवेचन किये बिना, कोई कारण अंकित किये बिना ही आक्षेपित निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तात्विक रुप से अनियमित होने से, निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाये और वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। अप्रार्थी पक्ष की ओर से योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 380/667/3 रकबा 15 बीघा वादी की गैर खातेदारी भूमि है और इस भूमि में अप्रार्थी-प्रतिवादी द्वारा हस्तक्षेप करने की स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दायर किया गया था। दौराने वाद वादी की भूमि के उत्तरी ओर 5 बीघा पर दिनांक 28 एवं 29-06-2004 को प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया, अतः वाद पत्र को संशोधित कराया जाना आवश्यक था। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये ही वादी के संशोधन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। इस आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है, निगरानी खारिज की जाए। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी-अप्रार्थी की ओर जो स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दायर किया था उसमें वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन किया कि दौराने वाद वादी की भूमि के उत्तरी ओर 5 बीघा पर दिनांक 28 एवं 29-06-2004 को प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया, अतः वाद पत्र को संशोधित कराया जाना आवश्यक है, इसे संशोधित किया जाये। परीक्षण न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त एक संक्षित आदेश "प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/6447/2005/बून्दी गोपाल बनाम मिश्री लाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाता है, वकील वादी संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत करें" पारित किया है। इस आदेश में किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है कि क्या वास्तव में प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि के उत्तरी ओर 5 बीघा पर कब्जा किया है? प्रार्थना पत्र संशोधन को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व उभय पक्ष द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत किए गए उज्रों के आधार पर विवेचन करते हुये तय किया जाना चाहिए था। आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 842 पर माननीय उच्च न्यायालय ने सकारण पारित नहीं किये गये निर्णय को संवहन से होना नहीं माना है, आर. आर.टी. 2014 (1) पेज 404 के अनुसार भी आदेश का रीजण्ड व स्पीकिंग होना भी आवश्यक है। फलतः निगरानी आंशिक रुप से स्वीकार योग्य प्रतीत होती है। अतः हस्तगत निगरानी **आंशिक रुप से स्वीकार** की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली द्वारा दिनांक 28-05-2005 को पारित निर्णय निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली को प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्को को ध्यान में रखते हुये, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पुनः विस्तार से विवेचन करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता पर इस निर्णय से 01 माह की अवधि में निर्णय पारित करें। उभय पक्ष दिनांक 22.06.2018 को उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	